

बिहार गजट असाधारण अंक

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1938 (श0) (सं0 पटना 663) पटना, वृहस्पतिवार, 11 अगस्त 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2016

सं० एल0जी0-01-10/2016/145 लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 10 अगस्त 2016 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 [बिहार अधिनियम 9, 2016]

प्रस्तावना |— राजकोषीय समेकन के लिये 14वें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ I— (1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
 - (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में इस निमित नियत करें ।
- 2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—2 में संशोधन।— बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—2 की उपधारा (ड) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (ढ) जोड़ी जायेगी :—
- ''(ढं) ''ब्याज भुगतान'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा लिये गये कर्ज एवं अग्रिम एवं लोक लेखा में राज्य भविष्य निधि एवं अन्य दायित्व पर मूलधन की वापसी से भिन्न भुगतेय राशि।''
- 3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—9 में संशोधन।— बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—9 की उपधारा (2) का खण्ड (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—
- "(ख) (1) वित्तीय वर्ष 2016—17 से 2019—20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत किया जाता है:—
 - (I) राज्य का राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। राज्य इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ऋण— जी०एस०डी०पी० अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होगा।
 - (II) राज्य उक्त वर्ष में जिसके लिए उधार सीमाएं नियत की जानी है, यदि उसका ब्याज भुगतान उसके पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होगा।
 - (III) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन राज्य उपर्युक्त इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदण्ड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदण्डों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ। इस प्रकार किसी दिए गए वर्ष में राज्य को अधिकतम राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है।
 - (IV) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के अधीन अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं नियत की जानी है और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा न हो।
- (2) वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी विशिष्ट वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे केवल अगले वर्ष में इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) को 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2017–18 से 2019–20 के भीतर प्राप्त करने का विकल्प होगा। अनुपयोजित उधार राशि सहित यह राशि जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक सीमित होगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

11 अगस्त 2016

सं० एल0जी0-01-10/2016/146/लेजः —िबिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2016 को अनुमत विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management(Amendment) Act, 2016 [Bihar Act 9, 2016]

AN ACT

Preamble- To amend The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 14th Finance Commission for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the republic of India as follows:-

- **1.** *Short title, Extent and Commencement* (1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2016.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.
- **2.** Amendment in section-2 of The Bihar Act 5, 2006.—The following new sub-section (n) after sub-section (m) of section-2 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006):-
- "(n) 'Interest Payment' means the amount payable other than refund of principal amount on the internal debt of the State Government, and loans and advances taken by the State Government from the Central Government and on State provident funds and other liabilities in the public account."
- **3.** Amendment in section-9 of the Bihar Act 5, 2006.— Clause (b) of sub rule (2) of section-9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following:-
- "(b)(1) The fiscal deficit targets and annual borrowing limits for the State during the period 2016-17 to 2019-20 are enunciated as follows:-
 - (I) Fiscal deficit of the State will be anchored to an annual limit of 3 percent of GSDP. The State will be eligible for flexibility of 0.25 percent over and above this for any given year for which the borrowing limits are to be fixed if the debt-GSDP Ratio is less than or equal to 25 percent in the preceding year.
 - (II) The State will be further eligible for an additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP in a given year for which the borrowing limits are to be fixed if the interest payments are less than or equal to 10 percent of the revenue receipts in the preceding year.
 - (III) The two options under these flexibility provisions can be availed by the State either separately, if any of the above criterion is fulfilled, or simultaneously if both the above stated criterion are fulfilled. Thus, the State can have a maximum fiscal deficit- GSDP limit of 3.5 percent in any given year.
 - (IV) The flexibility for availing the additional limit under either of the two options or both will be available to the State only if there is no revenue deficit in the year in which borrowing limits are to be fixed and the immediately preceding year.

(2) If the State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit of 3 percent of GSDP in any particular year during the financial year between 2016-17 to 2018-19, it will have the option of availing this unutilized borrowing amount (calculated in Rs.) only in the following year within the Fourteenth Finance Commission award period of 2017-18 to 2019-20. The amount including unutilized borrowing amount will be limited to 3.5 of GSDP."

By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 663-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in